

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2821/2026

Kartik Vaishnav S/o Late Kandas, Aged About 30 Years, R/o Near
Dauji Ki Pal, Suthala, Police Station Pratap Nagar, Distt Jodhpur
(At Present Lodged At Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Kapil Purohit

For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना महामंदिर जिला जोधपुर सिटी, पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 460/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 302(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध तथा उसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध चोरी करने के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 22 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथापि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कार्तिक वैष्णव पुत्र स्व. कानदास** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे:—

प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण का विचारण पूर्ण होने तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इसमें चूक करने पर संबंधित थानाधिकारी अविलम्ब संबंधित न्यायालय को सूचित करें।

प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है, तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा निरस्त करवाने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की पालना हेतु इस आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाने को अविलम्ब भिजवायी जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/81